



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली/ Head Quarter, New Delhi
website: www.kvsangathan.nic.in
E-mail : addl.com.admn@kvs.gov.in
jc.pers@kvs.gov.in

दूरभाष /Tel : 91-11-26858565

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली/

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110 016

फा. 11072-3(ODIS)/20221-केविसं/प्रशा-1 | ८२५-८३९

दिनांक: 10.06.2022

आदेश

माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 से आई आई टी भुवनेश्वर, आई आई टी कैम्पस, अरण्य, जटनी, जिला खोरधा-752050, ओडीसा के परिसर में आई एच एल क्षेत्र (under IHL Sector) के अधीन एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्थीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में इस नए केन्द्रीय विद्यालय में कक्ष 01 से 05 तक (प्रत्येक कक्ष में एक सेक्शन) खोलने और भविष्य में साध्यता के आधार पर विद्यालय में अन्य कक्षाओं/सेक्शनों में वृद्धि की जा सकेगी।

प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात आई आई टी, भुवनेश्वर, जिला खोरधा, ओडीसा निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन।
- केन्द्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 100% स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था।
- 15% प्रशासनिक ऊपरी खर्च एवं भावी विकास के खर्च सहित समस्त आवर्ती और अनावर्ती खर्च।

भविष्य में प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ती और अनावर्ती खर्च संबंधी बजट राशि को उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रिम किस्त के रूप में जमा करवाएंगे। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पहली किस्त अप्रैल महीने में दूसरी किस्त अक्टूबर महीने में जमा की जाएगी।

प्रायोजक प्राधिकरण यदि अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं/सेक्शनों की संख्या को कम करने के लिए आयुक्त, केविसं प्राधिकृत होंगे।

इस केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आई एच एल क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और नियमों के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे।

इस विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया, इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर पूरी की जा सकती है।

(पुष्पेन्द्र कुमार)
सहायक आयुक्त (प्रशा.)

वितरण: -

- माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, केविसं. के निजी सचिव।
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन केविसं. के वरिष्ठ पी.पी.एस।
- अपर सचिव (ईस्टीट्युशन) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केविसं. के वरिष्ठ पी.पी.एस।
- आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के कार्यकारी सहायक/निजी सचिव।
- संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
- संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)/(प्रशा.)/(कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- संयुक्त आयुक्त (वित्त), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- रजिस्ट्रार, आई आई टी, भुवनेश्वर, आई आई टी कैम्पस, अरण्य, जटनी, जिला खोरधा-752050, ओडीसा
- उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
- उपायुक्त, ई.डी.पी. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली।
- निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी जीट ग्वालियर, मुंबई/मैसूर/चंडीगढ़/भुवनेश्वर।
- सभी अधिकारी/अन्भाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली।
- अध्यक्ष/ सचिव केविसं, मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
- गार्ड फाइल।